कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम, जयपुर।

परिपत्र–I

भूमि विकास बैंकों की वसूली हेतु निर्देश 2020–21

पिछले कई वर्षों से प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की वसूली में निरन्तर गिरावट आ रही है। इस गिरावट के कारण कई बैंकों को नाबार्ड द्वारा पुर्नवित्त सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, जिसके कारण इन बैंकों द्वारा ऋण वितरण कार्य नहीं किया जा रहा है। प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के लिए ऋण वितरण एवं ऋण वसूली महत्वपूर्ण कार्य है। इन कार्यों में गिरावट के कारण प्राथमिक बैंकों के एन.पी.ए. में वृद्धि एवं लाभ में कमी आती है। अतः वसूली में वृद्धि कर ऋण वितरण करना आवश्यक कार्य है। सहकारी वर्ष 2020–21 के प्रारम्भ से ही वसूली में वृद्धि के प्रयास किए जाने आवश्यक है।

अतः वे ऋणी जो दिनांक 01.07.2020 को अवधिपार रहे हैं उनके विरुद्ध अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही कर वसूली सुनिश्चित करने हेतु, सचिव प्राथमिक बैंक द्वारा आवश्यक रूप से, निम्नानुसार समयबद्ध कार्यक्रम की पालना सुनिश्चित की जावे। वसूली कार्ययोजना के क्रियान्वयन में क्रोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देशों की पूर्णतया पालना की जावे।

1. दिनांक 01.07.2020 को अवधिपार ऋणों की वसूली समीक्षा हेतु राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा पूर्व में रचित 22 कॉलम की google.docs शीट में रहनशुदा भूमि का विवरण नाप सहित, डीएलसी दर, वर्तमान बाजार मूल्य एवं भूमि की वर्तमान स्थिति (कौन काबिज) की सूचना को वर्तमान में उपलब्ध google.docs की 27 कॉलम की शीट में दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक अपडेट करते हुए, पूर्ण करें तथा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय व प्रधान कार्यालय को सॉफ्टकॉपी में ई–मेल से तथा हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर सीलबद्ध प्रमाणीकरण पश्चात् स्वयं, सचिव के हस्ताक्षर उपरान्त भिजवायी जाये। इसके पश्चात् google.docs पर 27 कॉलम की शीट को फ्रीज कर दिया जावेगा जिससे डाटा एन्ट्री किया जाना सम्भव नहीं होगा। सम्पूर्ण अवधिपार केसेज अपलोड कर दिए गए हैं इस आशय का प्रमाण पत्र, संलग्न फोर्मेट (परिशिष्ट–1) में, अनिवार्यतः दिनांक 31.08.2020 तक भिजवावें।
2. दिनांक 01.07.2020 को अवधिपार रहे समस्त ऋणियों से उनके मोबाईल पर सम्पर्क कर उन्हें उनकी ओर बकाया अवधिपार राशि जमा न कराने अथवा उनके द्वारा बैंक को दिये गये चैक के अनादरित होने की स्थिति में बैंक द्वारा की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी जावे और उन्हें कानूनी कार्यवाही की स्थिति न आने के बारे में समझाकर अवधिपार राशि जमा कराये जाने हेतु प्रेरित किया जावे। इसके उपरान्त भी अवधिपार राशि जमा न कराये जाने पर, प्राथमिक बैंकों के बड़े अवधिपार ऋणी सदस्यों जो आर्थिक रूप से सक्षम भी हैं, से वसूली हेतु उनके नाम स्थानीय अखबारों में नियमानुसार प्रकाशित कराये जावें।
3. प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में ऋणियों से प्राप्त किये गये अग्रिम चैकों को अवधिपार ऋणियों के विरूद्ध, एडवोकेट के मार्फत, निर्धारित अवधि में सम्बन्धित बैंकों में लगाकर धारा–138 की कार्यवाही प्रारम्भ कर 31.08.2020 तक पूर्ण की जावेगी। कई बैंकों का विलय हो चुका है अथवा ऋणियों द्वारा पूर्व में बैंक में जमा कराये गए चैक अप्रचलित हैं, ऐसी स्थिति में ऋणी द्वारा वर्तमान में प्रचलित खाते के नियमानुसार सी.टी.एस. चैक प्राप्त किए जावें एवं जिन ऋणियों से पूर्व में चैक लिए गए हैं उनके भी सी.टी.एस. चैक लिए जावें।

4. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 एवं नियम, 2003 के अन्तर्गत कार्यवाही का समयबद्ध कार्यक्रम :–

4.1 वे ऋणी जो दिनांक 01.07.2020 को अवधिपार है तथा जिनके विरूद्व अभी तक अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई। उन समस्त केसेज में माह अगस्त 2020 में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तामीली करवाई जाकर, नियमानुसार तामिली के 30 दिवस पूर्ण होने के पश्चात् के प्रथम सप्ताह तक धारा 99 के अन्तर्गत आदेश जारी कर तागीली करावें। तत्पश्चात् गाह अक्टूबर 2020 में धारा 100 के अन्तर्गत वारन्ट जारी करवाए जाकर, माह नवम्बर 2020 में वारन्ट स्तर से अग्रिम स्तर की अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

4.2 वे ऋणी जो दिनांक 01.07.2020 को अवधिपार है तथा धारा 99 के अन्तर्गत नोटिस जारी है, शत–प्रतिशत केसेज में तामील करवाकर सितम्बर 2020 में धारा 99 के अन्तर्गत आदेश जारी कर तामीली करावें। तत्पश्चात् माह अक्टूबर 2020 में धारा 100 के अन्तर्गत वारन्ट जारी कर, माह नवम्बर 2020 में वारन्ट स्तर से अग्रिम स्तर की अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

4.3 वे ऋणी जो 01.07.2020 को अवधिपार हैं तथा जिन्हे धारा 99 के अन्तर्गत आदेश जारी है, उन शत प्रतिशत केसेज़ में तत्काल तामीली करवाई जाकर माह अगस्त में धारा 100 के अन्तर्गत वारंट जारी करवाए जाकर माह सितम्बर 2020 में वारन्ट स्तर से अग्रिम स्तर की अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

4.4 वे ऋणी जो 01.07.2020 को अवधिपार हैं तथा उन्हें धारा 100 के अन्तर्गत वारंट जारी है, उन शत प्रतिशत केसेज़ में सितम्बर 2020 के अन्त तक वारन्ट स्तर से अग्रिम स्तर की अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

5. समस्त अवधिपार ऋणियों को अलग से मांग पत्र जारी न करें, सीधे ही अधिनियमान्तर्गत नोटिस के माध्यम से मांग के बारे में सूचित करें।
6. एक ही व्यक्ति के एक से अधिक ऋण खाते होने की स्थिति में अवधिपार समस्त ऋण खातों पर एक साथ ही अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जावे।
7. जिन केसेज में अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही किन्ही कारणों से पूर्ण नहीं हो पाती है एवं ऋण की अवधि पूर्ण हो चुकी है और अवधिपार राशि भी अधिक बकाया है, ऐसे केसेज में धारा–103 अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण की जावे।
8. प्रत्येक केस, जिनमें कार्यालय न्यायालय सचिव प्राथमिक बैंक में अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है, की पृथक से कानूनी कार्यवाही पत्रावली बनाई जावे, जिसकी एक प्रति शाखा कार्यालय में भी संधारित की जावे।
9. सभी ऋणियों से मोबाईल पर सम्पर्क किया जावे तथा साथ ही ऋणी द्वारा उपलब्ध करवाये गये मोबाईल नम्बर को, स्वयं का होना, प्रमाणित (वेरिफाई) करवाया जावे। समस्त ऋणियों, उनके जमानतदारों/गवाहों के मोबाईल नम्बर अत्यावश्क रूप से पत्रावली में संधारित किए जावें। उक्त नम्बरों को docs.google.com पर भी अपलोड किया जावे। इसमे किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाये।
10. प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव एवं लेखाकार वसूली पर हुए व्यय की साप्ताहिक रूप से समीक्षा करेंगे। वसूली पर होने वाले व्यय के अनुपात में कुल वसूली में सुधार परिलक्षित होना अपेक्षित है।
11. प्राथमिक बैंक के समस्त अवधिपार दोषी ऋणियों की सूची क्षेत्र की समस्त व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, वित्तीय संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं को संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट–2) में प्रेषित की जाकर अनुरोध किया जावे कि सूची में अंकित ऋणियों को किसी भी प्रकार का ऋण

उपलब्ध नहीं कराया जावे। उक्त पत्र की प्रति राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., प्रधान कार्यालय को भी पृष्ठांकित करें।

12. प्राथमिक बैंक की वर्ष 2020–21 की कुल ऋण माँग (अवधिपार माँग व चालू माँग अनुमानित) के आधार पर राज्य बैंक द्वारा शीघ्र ही मासिक वसूली लक्ष्य आवंटित किये जावें, जिसके आधार पर प्राथमिक बैंक द्वारा उपलब्ध स्टाफ के वसूली क्षेत्र का निर्धारण कर मासिक आधार पर प्रत्येक स्टाफ के वसूली के लक्ष्य आवंटित किये जावें। सचिव प्राथमिक बैंक द्वारा पाक्षिक आधार पर लक्ष्यों की पूर्ति की समीक्षा कर एक प्रति प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को प्रेषित की जावे तथा लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने वाले अथवा लापरवाह कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
13. उपरोक्त कार्य सम्पादन हेतु राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के कार्मिकों को समन्वय व सहयोग के लिए लगाया जावेगा तथा वे समय समय पर सम्बन्धित बैंकों का दौरा कर, प्राथमिक बैंक द्वारा उक्तानुसार docs.google.com सहित, की जाने वाली कार्यवाही की सघन मोनेटरिंग करेंगे जिसकी मासिक समीक्षा प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा की जावे।
14. सहकारी वर्ष 2020–21 हेतु वसूली निर्देशों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की अनुपालना पर सचिव प्राथमिक बैंक साप्ताहिक, अतिरिक्त रजिस्ट्रार खण्ड/प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मासिक एवं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा द्विमासिक समीक्षा की जावेगी ।
15. प्राथमिक बैंकों के द्वारा docs.google.com पर दैनिक वसूली हेतु उपलब्ध प्रपत्र (परिशिष्ट–3) में सूचना अपलोड की जावे।
16. क्षेत्रीय प्रबन्धक अपने अधीनस्थ प्राथमिक बैंकों की उपरोक्त वर्णित समस्त बिन्दुओं की पाक्षिक वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को प्रस्तुत करेगें।

संलग्न : परिशिष्ट–1, 2 एवं 3

ह०

(मुक्तानन्द अग्रवाल)

रजिस्ट्रार

फा- 50(ड) सविरा / मोने / 2A / वसूली 19-20 / 2019 दिनांक 11/8/20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता एवं इंगानप मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान, जयपुर
5. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) सहकारी समितियां, प्र. का. जयपुर एवं प्रशासक राज्य भूमि विकास बैंक लि. जयपुर।
6. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मॉनि.) सहकारी समितियां, प्र. का. जयपुर
7. अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, समस्त खण्ड समस्त।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर
9. अध्यक्ष/प्रशासक, सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, समस्त ।
10. सचिव प्राथमिक बैंक समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वसूली निर्देशों की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जावें।

(एम.एल. गुर्जर)

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मोनेटरिंग)